रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 355] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 1970/आश्विन 4, 1892
No. 355] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 1970/ASVINA 4, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September 1970

S.O. 3178.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 62 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government hereby nominates to the Provisional Legislative Assembly of Meghalaya the following three persons to represent the minority communities of Assamese, Bengalese and Nepalese which, in the opinion of the Central Government, need representation in the Assembly, namely:—

1. Dr. H. C. Bhuyan.
2. Dr. S. C. Deb.
3. Shri Mon Bahadur Newar.

[No. F. 1/15/70-SR.]
M. G. PIMPUTKAR, Spl. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1970

का० आ० 3178.—असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 62 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

मेघालय की अनन्तिम विधान सभा में असमी, बंगाली और नेपाली अल्पसंख्यक समुदायों का जिन का केन्द्रीय सरकार की राय में सभा में प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है, प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को एतद्द्वारा नाम निर्देशित करती है, अर्थात् :—

1. डा० एच० सी० भुयां
2. डा० एस० सी० देब
3. श्री मोन बहादुर नेवार

[सं० फा० 1/15/70-एस० आर०.]

मो० ग० पिम्पूटकर, विशेष सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970